26.4.17

वादी एवं वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया। वादी व प्रतिवादी के बिच समझौता हो गया है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली खारिज की जावे

अतः वादी प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहता है, प्रार्थना-पत्र पत्रावली खारिज की जाती है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा